पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22–07–2021

दिनांक 21/22–07–2021 को रात्रि थाना गोमतीनगर 01, तालकटोरा 01, सुशान्तगोल्फ सिटी 02 व हजरतगंज 04 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

भा0द0वि

थाना चिनहट–आज दिनांक 22–07–2021 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री शंशाक जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश जायसवाल निवासी– ग्राम गुडम्बा स्पोर्ट कालेज के पास कुर्सी रोड थाना गुडम्बा लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि वादी तिवारीगंज मॉडलशाप अंग्रेजी शराब का सेल्समैन है। दिनांक 21–07–2021 को दुकान रोज की तरह रात्रि करीब 10.00 बजे बन्द हो गयी थी, शटर गिराने के बाद वह बब्लू पुत्र राजाराम निवासी–ग्राम शिव सिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर के साथ दुकान पर बिक्री का पैसा गिनकर इकट्ठा किया जो कुल 3,03,700/–रूपये थे। जिसको वादी ने तीन बंडलों में तैयार किया और कुछ समय बाद करीब 10.24 बजे रात्रि को कम्पनी में पैसे का कलेक्शन का काम करने वाले कर्मचारी विशाल सिंह और पवन द्विवेदी अपनी ईको स्पोर्ट कार नं0 यूपी 32 एचवी 6606 से आये और वादी को कॉल किया कि दुकान का शटर खोलकर पैसा लेकर बाहर आ जाओ। इसके बाद वादी अपने साथी बब्लू यादव के साथ दुकान से बाहर आया तो देखा कि 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात दुकान के बाहर असलहा लेकर खड़े थे। उन दोनों अज्ञात व्यक्तियों ने वादी को असलहा दिखाकर वादी से कुल 3,03,700/–रूपये लूट लिया व फायर करते हुए अपने तीसरे साथी जो कि मोटरसाइकिल पर बैठा था, पर सवार होकर बाराबंकी की तरफ भाग गये। इस घटना के समय वादी के साथ बब्लू यादव, विशाल सिंह व पवन द्विवेदी भी मौके पर मौजूद थे। वादी को पूर्ण संदेह और विश्वास है कि पैसा कलेक्शन करने वाले पूर्व कर्मचारी राकेश सिंह उर्फ टिंकू सिंह पता अज्ञात ने वादी की दुकान का पैसा लुटवाया है, क्योंकि नौकरी छोड़ते समय राकेश सिंह उर्फ टिंकू सिंह ने वादी का धमकी दी थी कि तुम लोग बच कर रहना तुम्हारे साथ कोई भी कांड हो सकता है व दुकान का पैसा भी लुट सकता है। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 0519/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अजय शुक्ला मो0नं0 9415740735 द्वारा की जा रही है।**

सुशान्तगोल्फ सिटी–आज दिनांक 22–07–2021 को थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी चन्द्रशेखर पुत्र हीरालाल रावत निवासी–अहिमामऊ थाना सुशान्तगोल्फ सिटी ने थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि श्री वादी व वादी का भाई चन्द्रमोहन रावत पुत्रगण हीरालाल रावत निवासी अहिमामऊ के मूल निवासी हैं और दोनो भाई एक ही मकान में अलग–अलग कमरे में रहते हैं। दिनांक 21–07–2021 को चन्द्रमोहन स्कोप रोड पर इलाज कराने के बाद राजेश रावत पुत्र स्व0 नन्हेंलाल रावत के घर पर ठहरे थे। वादी ग्राम लोखरिया पोस्ट महमूदपूर थाना गोसाईगंज(ससुराल) में धान की खेती लगवाने गया था। वादी जब सुबह अपने घर पर आया तो देखा की 21–07–2021 की रात्रि में घर के कमरे से सोने–चांदी के जेवरात, 50,000/–हजार रूपये नकदी व बच्चे के गुल्लक में जो पैसा था अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना **सुशान्तगोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0–0267/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री जितेन्द्र कुमार मो0नं0 9236857726 थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा की जा रही है।**